

DEA-XII

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

18 DEC 2013

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखण्ड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार, होमगार्डस, चम्पावत का चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार, होमगार्डस, चम्पावत का चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार चतुर्थ श्रेणी आवंटन नीति से आच्छादित हैं तथा उत्तर प्रदेश पुनरावंटन चाहते हैं । समिति द्वारा उनका उत्तर प्रदेश पुनरावंटन कि संस्तुति इस शर्त के साथ की गई कि वह स्थायी (Regular) कार्मिक हैं ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री दिनेश चन्द्र, चौकीदार का राज्य पुनरावंटन स्थायी (Regular) कार्मिक सावित होने के उपरांत ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवंटन नीति के अंतर्गत उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये प्रभावी होगा ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Department of Personnel & Trg. L. N. Bhawan
प्राप्ति और निगम अनुभाग
Receipt & Issued Section

18 DEC 2013

जारी किया/ISSUED